# कार्यालय, नगर पालिक निगम, रायपुर

*नगर निगम मुख्यालय, गांधी मैदान के पास, रायपुर (छ.ग.)*
फोन.नं- 0771-2535780, 90, फैक्स : 0771-2227395; ई–मेल :- dc_rmc@rediffmail.com

क्रमांकः 462/मुख्यालय/नपानि/2020–21 रायपुर, दिनांक 29/08/2020

## अभिव्यक्ति की अभिरूचि (E.O.I.)

नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्र में गोधन न्याय योजना के तहत् शहर में क्रय किये गये गोबर तथा गौठानो में एकत्रित गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, अन्य उत्पाद के निर्माण हेतु सुसंगत विधि अपनाने, कार्य के क्रियान्वयन के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण, तैयार उत्पाद के विक्रय हेतु समुचित अवसर की पहचान करते हुये आय को बढाना, इस संबंध में भारत शासन/राज्य शासन से मिलने वाले सुविधाओं/सबसिडी हेतु मार्गदर्शन देने साथ ही साथ नगर पालिक निगम, रायपुर के अधिकारी कर्मचारियों तथा SHG ग्रुप को समुचित प्रशिक्षण देने तथा सम्पूर्ण कार्य के आंकलन, विश्लेषण, जागरुकता से सम्बधित कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ से बंद लिफाफे में अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Expression of Interest) अंतर्गत आवेदन दिनांक 07.09.2020 सांय 5:00 बजे तक आवेदन अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में (कार्यालयीन दिवस में ) आमंत्रित किया जाता है। इस हेतु अन्य जानकारियां, नियम एवं शर्ते नगर निगम के कक्ष कमांक–409 से कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकती है।

**कार्यपालन अभियंता (SBM)**
**नगर पालिक निगम,**
**रायपुर (छ.ग.)**

# नगर पालिक निगम, रायपुर

## गोधन न्याय योजना अंतर्गत विषय विशेषज्ञ नियुक्ति हेतु आवष्यक नियम एवं शर्ते

नगर पालिक निगम, रायपुर क्षेत्र में गोधन न्याय योजनांतर्गत शहर में क्रय किये गये गोबर तथा गौठानो में एकत्रित गोबर से वर्मी कम्पोस्ट, अन्य उत्पाद के निर्माण हेतु सुसंगत विधि अपनाने, कार्य के क्रियान्वयन के दौरान पर्याप्त पर्यवेक्षण, तैयार उत्पाद के विक्रय हेतु समुचित अवसर की पहचान करते हुये आय को बढाना, इस संबंध में भारत शासन/राज्य शासन से मिलने वाले सुविधाओं/सबसिडी हेतु मार्गदर्शन देने साथ ही साथ नगर पालिक निगम, रायपुर के अधिकारी कर्मचारियों तथा SHG ग्रुप को समुचित प्रशिक्षण देने तथा सम्पूर्ण कार्य के आंकलन, विश्लेषण, जागरुकता से सम्बधित कार्य हेतु विषय विशेषज्ञ से बंद लिफाफे में अभिव्यक्ति की अभिरूचि (Expression of Interest) के तहत आवेदन आमंत्रित है। जिस हेतु नियम एवं शर्ते निम्नानुसार है :–

1. विषय विशेषज्ञ को गोधन न्याय योजनांतर्गत प्रस्तावित गौठानो में वर्मी कम्पोस्ट एवं अन्य उत्पाद के निर्माण हेतु कार्यवाही किया जाना होगा।
2. विषय विशेषज्ञ को तैयार उत्पाद के विक्रय हेतु समुचित अवसर की पहचान करते हुये आय को बढाना, इस संबंध में भारत शासन/राज्य शासन से मिलने वाले सुविधाओं/सबसिडी हेतु मार्गदर्शन देन हेतु कार्यवाही किया जाना होगा।
3. विषय विशेषज्ञ को नगर पालिक निगम, रायपुर के अधिकारी कर्मचारियों तथा SHG ग्रुप को समुचित प्रशिक्षण देने तथा सम्पूर्ण कार्य के आंकलन, विश्लेषण, जागरुकता से सम्बधित कार्यवाही किया जाना होगा।
4. विषय विशेषज्ञ को आवश्यकतानुसार स्थल का निरीक्षण एवं जानकारी प्राप्त कर शासन द्वारा चाही गई जानकारी तैयार करना होगा।
5. विषय विशेषज्ञ को नगर पालिक निगम, रायपुर के निर्देश के अनुरूप सप्ताहिक/ पाक्षिक/ मासिक प्रतिवेदन अपने कार्य के संबंध में प्रस्तुत किया जाना होगा।
6. विषय विशेषज्ञ को आवश्यकतानुसार अपने स्वयं के व्यय से ठहरकर कार्य संपन्न कराना होगा। इस हेतु किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नगर निगम रायपुर द्वारा नही किया जायेगा।
7. विषय विशेषज्ञ की नियुक्ति छः माह के अवधि हेतु किया जावेगा। उक्त नियुक्ति पूर्णताः अस्थायी होगी एवं उक्त अवधि के उपरांत विषय विशेषज्ञ द्वारा उनके सेवाओ के स्थायीकरण इत्यादि के संबंध में किसी प्रकार का दावा मान्य नही होगा।
8. विषय विशेषज्ञ हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता बीएससी एग्रीकल्चर है। समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित, संलग्न करना होगा।
9. विषय विशेषज्ञ को संबंधित कार्य का किसी संस्था/संस्थान में न्यूनतम दो वर्ष का अनुभव होगा चाहिये । इस बाबत् विषय विशेषज्ञ को अनुभव प्रमाण पत्र की छायाप्रति स्वयं द्वारा सत्यापित, संलग्न करना होगा।
10. विषय विशेषज्ञ को प्रतिमाह राशि रूपये 25000/– का मानदेय भुगतान किया जावेगा। इसके अतिरिक्त विषय विशेषज्ञ को किसी प्रकार के भत्ता/क्षतिपूर्ति राशि देय नही होगा।
11. विषय विशेषज्ञ को प्रस्तावित समयावधि के भीतर एवं निगम के दिशा निर्देशानुसार कार्य नही किये जाने/अपूर्ण कार्य/गलत कार्य/कार्य को बीच में ही छोड़ देने की स्थिति में बकाया मासिक भुगतान की राशि राजसात कर ली जाएगी।
12. शासन द्वारा आरोपित सभी प्रकार के करो के भुगतान की समस्त जवाबदारी विषय विशेषज्ञ की होगी। प्राप्त ईओआई की वैधता अधिकतम 6 माह होगी।

13. आवेदक को Proceeding Fees के रूप में 1000/- का DD आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर के पक्ष में आवेदन के साथ संलग्न करना होगा, जो वापसी योग्य नही होगा।

14. आवेदन के साथ संबंधित को लिफाफा 'अ' में उक्त मासिक मानदेय राशि में कार्य करने हेतु सहमति पत्र संलग्न किया जाना होगा।

15. आवेदन के साथ संबंधित को लिफाफा 'ब', जिसमे शैक्षणिक, अनुभव प्रमाण पत्र, बायोडाटा, आधार कार्ड, पेन कार्ड की प्रति तथा अन्य प्रमाण पत्र संबंधित अन्य जानकारियो की प्रति संलग्न करना होगा।

16. आवेदन हेतु प्रेषित लिफाफे के ऊपर ''गोधन न्याय योजना, विषय विशेषज्ञ हेतु आवेदन'' लिखा होना अनिवार्य है तथा लिफाफों में 'अ' एवं 'ब' भी स्पष्ट अंकित किया जाये।

17. आवेदन तथा अन्य दस्तावेज स्पीड पोस्ट के माध्यम से निर्धारित समयावधि तक प्रेषित किया जा सकता है।

18. एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर इन्टरव्यू के माध्यम से विषय विशेषज्ञ का चयन किया जायेगा।

19. निर्धारित समयावधि पश्चात प्राप्त आवेदनों पर विचार नही किया जायेगा।

20. सभी आवेदन निम्न पते पर प्रेषित किये जायेगे।

    कार्यपालन अभियंता (SBM),
    नगर पालिक निगम मुख्यालय भवन,
    कक्ष क्र. 409, गॉधी मैदान के पास,
    रायपुर (छ.ग.)

21. किसी भी ईओआई को स्वीकार/निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आयुक्त नगर पालिक निगम, रायपुर को होगा।

22. किसी भी विवाद की स्थिति में आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

**कार्यपालन अभियंता (SBM)**
**नगर पालिक निगम,**
**रायपुर (छ.ग.)**